न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
09/2024	10.01.2024	11.08.2025

हरिदास पुत्र सोनी (गोदपिता), जाटव हॉल निवासी पूनम कॉलोनी, गली नम्बर 5 कोटा जक्शन, कोटा

——प्रार्थी

बनाम

1. तेजसिंह पुत्र किशोरी, जाटव निवासी मिर्जापुर हॉल निवासी गली नम्बर 7, अक्षत विहार, सोगरिया रोड, कोटा
2. बत्तूलाल पुत्र स्व0 किशोरीलाल, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
3. अमरलाल पुत्र स्व0 किशोरीलाल, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
4. राजेश पुत्र स्व0 किशोरीलाल, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
5. सम्पो देवी पत्नी मोहनसिंह पुत्री पुत्र स्व0 किशोरीलाल, जाटव निवासी प्रताप नगर सेक्टर नम्बर 5, जयपुर
6. ललिता पत्नी गंगासिंह पुत्री स्व0 किशोरीलाल, जाटव निवास ग्राम महलपुर चूडा, पोस्ट बंशी पहाडपुर तह0 रूपवास
7. कमला पत्नी हरिचरण पुत्री स्व0 किशोरीलाल, जाटव निवास ग्राम महलपुर चूडा, पोस्ट बंशी पहाडपुर तह0 रूपवास
8. सुरेश पुत्र स्व0 नारायण, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
9. नरेश पुत्र स्व0 नारायण, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
10. मुरारी पुत्र स्व0 नारायण, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
11. मोहन पुत्र स्व0 नारायण, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
12. दिया पत्नी स्व. राजू पुत्र स्व0 नारायण, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
13. हेमू पुत्र स्व0 राजू, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
14. कांति पुत्री स्व. नारायण, जाटव निवा[illegible] अ[illegible]कर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
15. राधेश्याम पुत्र स्व0 किशन[illegible] [illegible] अम्बेडकर धर्म[illegible] के पास, गंगापुर सिटी
16. अक्षय कुमार पुत्र स्व0 अशोक, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

17. ज्योति पुत्र स्व. अशोक, जाटव निवारी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
18. शोभना पत्नी स्व. अशोक, जाटव निवारी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
19. सोना पुत्री स्व. अशोक, जाटव निवारी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
20 सुशीला पत्नी स्व. अशोक, जाटव निवारी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
21 भूपेन्द्र पुत्र स्व. ओमप्रकाश, जाटव निवारी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
22. नागेन्द्र पुत्र स्व. ओमप्रकाश, जाटव निवारी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
23. गुलाब बाई पत्नी स्व0 ओमप्रकाश, जाटव निवारी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
24. हरिसिंह पुत्र चिरंजीलाल, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
25. भूरेलाल पुत्र चिरंजीलाल, जाटव निवासी राठोर वेकरी के पीछे, गली नम्बर 6, पूनम कॉलोनी, कोटा
26. नंदगोपाल पुत्र चिंरजीलाल, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
27. मोहनसिंह पुत्र स्व0 बुधराम, जाटव निवासी गली नम्बर 8, पूनम कॉलोनी, कोटा
28. योगेन्द्र सिह पुत्र स्व. बुधराम, जाटव निवासी गली नम्बर 8, पूनम कॉलोनी, कोटा
29. मोहनदेवी पुत्री स्व. बुधराम, जाटव निवासी आर.के. पुरम, डीमार्ट के पास, कोटा
30 कुसुमलता पुत्री स्व0 बुधराम, जाटव निवासी गली नम्बर 8, पूनम कॉलोनी, कोटा

31. भगवानदास पुत्र स्व. रामजीलाल, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
32. रतनबाई पत्नी स्व. भीमसिंह, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
33. महेन्द्र पुत्र स्व. भीमसिंह, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
34. प्रवीण पुत्र स्व. भीमसिंह, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
35. योगेश पुत्र स्व. भीमसिंह, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

36. नर्मदा पत्नी केदार, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
37. सिद्धार्थ पुत्र स्व. केदार, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
38. केसु पुत्र स्व0 केदार, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
39 कविता पुत्री स्व. केदार, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
40 योगिता पुत्री स्व. केदार, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
41. भारती पुत्री स्व. केदार, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
42. पूनी पत्नी स्व. सम्पत, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
43. तेजसिंह पुत्र स्व. सम्पत, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
44. गोरधन पुत्र हजारी, बैरवा निवासी नेहरू कॉलोनी, गंगापुर सिटी
45. धन्नालाल पुत्र कौरलाल, बैरवा निवासी वार्ड न0 18, गंगापुर सिटी
46. प्रेमबाई पुत्री स्व. चिरंजी पत्नी सोनपाल, जाटव निवासी कंजोली का पुरा, कॉचरोली, हिण्डौन सिटी
47. सावित्री देवी पुत्री स्व. चिरंजी पत्नी रामस्वरूप, जाटव निवासी कंजोली का पुरा, काचरोली, हिण्डौन सिटी
48. प्रेमलता पुत्री स्व. चिरंजी पत्नी बालेश्वर, जाटव निवासी थाई के पास, जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी
49. शांति पुत्र स्व. चिरंजीलाल पत्नी रामस्वरूप, जाटव निवासी थाई के पास, जाटव बस्ती, हिण्डौन सिटी
50 ज्ञानसिंह पुत्र स्व0 नथिया, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
51. शेरसिंह पुत्र स्व. रतनलाल, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
52. किसना पुत्र स्व0 रतनलाल, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
53. दीपचंद पुत्र स्व0 रतनलाल, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
54. सुरेश पुत्र स्व. किशोर, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
55. कलावती पत्नी स्व. किशोर, जाटव निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी
56. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
57. नगर परिषद, गंगापुर सिटी जरिए आयुक्त ——अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री दिलीप पैगोरिया, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एड0, अप्रार्थी सं. 2,3,4,10,11 की ओर से
श्री अरविन्द अग्रवाल, एड0, अप्रार्थी संख्या 27 से 30 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के वंशवृक्ष के सजरा मे प्रार्थी सोनी की पुत्री कस्तूरी का पुत्र है। जिसका नाम हरिदास है। जिसको सोनी ने दिनांक 2.4.1971 को गांव के पंच पटेलों के समक्ष गोद लिया था। जिसकी स्टाम्प पर लिखापढी हुई थी। उक्त गोदपत्र का उपपंजीय गंगापुर सिटी के यहॉ दिनांक 19.6.1978 को पंजीयन करा लिया गया। मृतक सोनी पुत्र मोती का प्रार्थी एकमात्र वारिस है। वंशवृक्ष के मुताबिक टूण्डा के दो लडके हीरा व मोती था। जिसके वंश वृक्ष मे तीन लडके थे बंशी, मूल्या व सोनी। इस तरह टूण्डा की कृषि भूमि मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा बनता है। 1/3 हिस्से मे बंशी के वारिस है तथा 1/3 हिस्से मे मूल्या के वारिस है। सोनी के एकमात्र वारिस प्रार्थी ही है। हीरया के वारिसों के टूण्डा के 1/2 भूमि आयी थी और 1/2 भूमि मोती के वारिसों की आयी है। साबिक ख0न0 136 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा व 137 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा व 138 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा का है जो हीरा व मोती की खातेदारी मे संवत 2003 –22 मे दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इसके ख0न0 49 बने एवं ख0न0 49 से हाल नम्बर 209 रकबा 1.73 है0, ख0न0 210 रकबा 1.72 है0 है। सोनी रेल्वे मे फिटर के पद पर कार्यरत था। उसने वीआरएस लेकर अपनी जगह पर अपने दत्तक पुत्र प्रार्थी को रेल्वे मे नियुक्ति दिलवायी थी। प्रार्थी 31.08.16 को सेवानिवृत्त हो चुका है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को आश्वासन दे रखा था कि मोती की भूमि मे तुम्हार 1/3 हिस्सा है। तुम हमको काश्त के लिए भूमि बता दो हम भूमि काश्त कर तुम्हारे हिस्से की कमाई तुम्हे देते रहेगे और इसी अनुसार अप्रार्थीगण प्रार्थी को 1/3 हिस्से की भूमि की कमाई प्रार्थी को हर साल देते रहे। सेवानिवृत्ति के बाद प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से अपना हिस्सा अलग करवाने को कहा तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को गलफत में रखा और गुमराह करते रहे। अप्रार्थीगण आपस में झूठे–सच्चे दावे लडते रहे और हाल खसरा नम्बर 209 व 210 की भूमि का 1/2 हिस्से का विक्रय अप्रार्थी तेजसिंह बत्तूलाल अमरलाल, राजेश कुमार पुत्रान किशोरी ने व नारायण पुत्र बंशी ने 1/2 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.01.2012 को गोरधन पुत्र हजारी वैरवा के हक में 1/2 व धन्नालाल पुत्र कौरीलाल के नाम 1/2 हिस्से का विक्रय कर रजिस्टर्ड करा लिया। पैतृक भूमि में प्रार्थी का हिस्सा होने के कारण यह विक्रय पत्र [illegible] विरूद्ध एब इन्शियो वॉइड है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उसके 1/3 हिस्से [illegible] भूमि से महरूम करने की गरज से षडयंत्र कर विक्रय पत्र रजि[illegible] करवाकर अवैधानिक रूप से खातेदारी करा दी जबकि मौके पर प्रार्थी का 1/3 हिस्सा यानि 1.15 है0 भूमि पडत पडी हुई है। दिनांक 13.10.2023 को प्रार्थी खसरा नम्बर 209 व 210 ग्राम हिगोटियां कुल रकबा 3.45 है0 में अपने हिस्से 1/3 की यानि 1.15 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

भूमि को जुतवाने गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी का मारपीट करने का आमदा हो गये एवं धमकी दी की वे प्रार्थी को भूमि काश्त नहीं करने देगें। प्रार्थी ने विवादित भूमि के कागजात निकलवाये तो पता चला कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्से का नामान्तकरण नहीं खुलवाया है और प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से महरूम करने के लिए साजिशी तौर पर बिना प्रतिफल के भूमि का बेचान कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वादपत्र इस आशय से पाबन्द फरमाया जावें कि वे भूमि खसरा नम्बर 209 रकबा 1.73 है0 व खसरा नम्बर 210 रकबा 1.72 है0 ग्राम हिगोटियां में से प्रार्थी को उसके 1/3 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व अडचन नहीं डाले न किसी अन्य से करावें ना ही कोई अकृषि कार्य करें तथा भूमि को किसी भी तरह रहन वय नही कर हस्तानान्तरण नहीं करें एवं ना ही विवादित भूमि की किस्म परिवर्तन करायें। अप्रार्थी संख्या 56 लैण्डहोल्डर को पाबन्द फरमाया जावें कि वह उक्त भूमि का कोई भी दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4, 10, 11, 27, 28, 29, व 30 के अतिरिक्त अन्य सभी अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 10 ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया है। जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी ने वंश वृक्षावली गलत प्रस्तुत की है। भूमि संवत 2012 से पहले ही वंशी पुत्र मोती के नाम दर्ज हो गयी थी एवं तभी से भूमि पर वंशी का व उसके मरने के बाद उसके वारिसों का कब्जा चला आ रहा है। वंशी के वारिस जबाबदारान हैं एवं प्रार्थी का इनसे कोई संबंध नहीं रहा है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व मंडल अजमेर तक मुकदमे चले है जिनमें भी अप्रार्थीगण ही एकमात्र पक्षकार रहे है। प्रार्थी ने 2.4.71 को स्वयं को गोद लेना बताया है व 1978 में गोदनामा पंजीबद्ध करवाना बताया है। प्रार्थी अपनी नियुक्ति रेलवे में 5.2.1979 को होना बताता है। पक्षकारान हिन्दू विधि से शासित होते हैं। हिन्दू एडोप्शन एवं मेन्टीनेन्स एक्ट में 14 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को गोद नहीं लिया जा सकता है। इससे साफ जाहिर है कि 1978 में जब गोद रजिस्टर्ड हुआ उस समय प्रार्थी की उम्र 14 साल से ज्यादा थी इसलिए गोदनामा वैलिड नहीं है एवं ऐसे किसी गोदनामे के आधार पर प्रार्थी किसी प्रकार के हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। मौके पर भूमि पर मकान बने हुए है एवं भूमि आवासीय है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:49 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 27 लगायत 30 ने अपने जबाब में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार किया है एवं काउन्टरक्लेम लेते हुए इसमें अंकित किया है कि सजरा के अनुसार जबाबदार के पूर्वज टूण्डा के पुत्र मूल्या के फौत होने के उपरान्त उसके वारिसान बुधराम हुआ जिसकी भी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०) सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

मृत्यु हो चुकी है और हम जबाबदारान उसके वारिस है। उपरोक्त भूमि मे हमारा हिस्सा भी नियमानुसार बनता है और तथ्य को छिपाते हुए दिनांक 27.1.12 को विक्रय कर दिया है। उक्त विक्रय पत्र मिनजबाबदारान के प्रति नल एंड बोईड है। जबाबदारान काउन्टर टीआई प्रथम दृष्टया केस साबित है। अतः जबाब टीआई मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुए जबाबदारान का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावें और उपरोक्त भूमि मे मुताबिक हिस्सा की डिक्री जबाबदारान के पक्ष मे जारी की जावें।

अप्रार्थी संख्या 27 ता 30 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का प्रार्थी ने जबाब प्रस्तुत किया है। जिसमे प्रार्थी ने अंकित किया है कि काउन्टर टीआई मे डिक्री जारी नही हो सकती है और अप्रार्थीगण 27 ता 30 का दावे मे जबाब बंद किया जा चुका है। अतः अप्रार्थीगण का काउन्टर टीआई खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 72 ग्राम हिगोटिया, फोटोकॉपी नकल खतौनी जमाबंदी संवत 2038, फोटोकॉपी नकल खतौनी बंदोवस्त संवत 2003–22, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2027–30, फोटोकॉपी नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध, फोटोकॉपी नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, फोटोकॉपी नकल गोदपत्र दिनांक 19.6.78, फोटोकॉपी इकरार नामा दिनांक 2.4.71, फोटोकॉपी आधार कार्ड प्रार्थी प्रस्तुत किये है।

जबाब व काउन्टर क्लेम के समर्थन मे अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा बनता है जिसे अप्रार्थीगण प्रार्थी को देना नही चाहते है और वे प्रार्थी को भूमि की काश्त मे बाधा उत्पन्न करते है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

अप्रार्थी संख्या 2,3,4,10,11 के अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा कि प्रार्थी ने गोद लेने की तारीख जो अंकित की है। उसके अनुसार गोदपत्र उस समय रजिस्टर्ड हुआ है जब प्रार्थी की उम्र 14 वर्ष से अधिक थी। यह गोदपत्र कानून की नजर मे वैध नही है। वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान मे मकान बन चुके है एवं भूमि आवासीय हो चुकी है तथा प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है और ना ही वर्तमान मे कब्जा है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 27 ता 30 के अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा कि वादग्रस्त भूमि मे जबाबदारान बुधराम के वारिस है और बुधराम के वारिस होने के कारण वादग्रस्त भूमि मे जबाबदारान का भी हिस्सा बनता है। इस तथ्य को छुपाते हुए दिनांक 27.1.12 को भूमि का विक्रय कर दिया गया है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

जबाबदारान का काउन्टर टीआई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि मे जबाबदारान का नाम दर्ज किया जावें।

बहस पर गनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोकापी नकल जमावंदी संवत 2071–74 के अनुसार वादग्रस्त भूमि गोरधन हिस्सा 1/2 व धन्ना लाल हिस्सा 1/2 के नाम खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी ने नकल खतौनी जमावंदी, नकल खतौनी बंदोवस्त, नकल खतौनी भूप्रबन्ध जो प्रस्तुत की है उनके अनुसार वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी के दत्तक पिता सोनी का नाम अंकित नही है ना ही प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबंदी मे अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के अवलोकन से विदित है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त भी नही है एवं कब्जा काश्त के अभाव मे प्रार्थी का टी.आई. प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 27 ता 30 द्वारा जो काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है उसमे उनके पक्ष मे हिस्से अनुसार डिक्री किये जोन की रिलीफ चाही गई है जो टीआई प्रार्थना पत्र मे दिया जाना संभव नही है। इसलिए इनका काउन्टर क्लेम भी स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं अप्रार्थी संख्या 27 ता 30 द्वारा काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 11.8.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:49 IST
Reason: SelfAttested